Act No. 50 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 27

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 10 का संशोधन।
3. धारा 11 का संशोधन।
4. धारा 13 का संशोधन।
5. धारा 17 का संशोधन।
6. धारा 18 का संशोधन।
7. धारा 22 का प्रतिस्थापन।
8. धारा 23 का संशोधन।
9. धारा 25 का अन्तः स्थापन।
10. धारा 69 का संशोधन।
11. धारा 134 का प्रतिस्थापन।
12. 2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2013 का विधेयक संख्यांक 27

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधानसभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 27 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और'' शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ग) उपधारा (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) के विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में, ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए स्थान को छोड़ कर'' शब्दों और इसके विद्यमान प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा। धारा 11 का संशोधन।

धारा 13 का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 13 में, "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और" शब्द और चिन्ह, जहां–जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

धारा 17 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 17 में, "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 18 का संशोधन। 6. मूल अधिनियम की धारा 18 में,–

(क) उपधारा (1) में, "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या" शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) परन्तुक में, "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 22 का प्रतिस्थापन। 7. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"22. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन.–प्रत्येक नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत, अपने निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी अन्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा:

परन्तु नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में अध्यक्ष का पद, धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित होगा :

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद, मृत्यु, त्याग–पत्र, हटाए जाने या अविश्वास प्रस्ताव के कारण उसकी पदावधि के दौरान रिक्त हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन उसी प्रवर्ग में से करवाया जाएगा।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में ''पाँच वर्ष या'' शब्दों के पश्चात किन्तु ''उसकी पदावधि का शेष'' शब्दों से पूर्व ''सदस्य के रूप में'' शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे। धारा 23 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :– धारा 25 का अन्तः स्थापन।

''25. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव.–(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ऐसी प्रक्रिया के अनुसार लाया जा सकेगा, जैसी विहित की जाए।

(2) जहाँ नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से उसके पद को रिक्त करने की अपेक्षा करने के लिए, इसके कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प लाने के लिए इस आशय का नोटिस दिया जाता है और यदि इसकी साधारण या विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा, जिसकी गणपूर्ति इसके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरूद्ध ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(3) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता, ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी रीति में आयोजित की जाएगी, जैसी विहित की जाए तथा व्यक्ति जिसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसे ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव, उसके ऐसे पद पर निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष के भीतर पोषणीय नहीं होगा और कोई पश्चात्‌वर्ती अविश्वास प्रस्ताव पूर्व अविश्वास प्रस्ताव से एक वर्ष के अन्तराल के भीतर पोषणीय नहीं होगा ।''।

10. मूल अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) में, ''नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिए एक पैसे की दर पर बिजली के उपभोग पर कर, ''शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के धारा 69 का संशोधन।

भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभुक्त बिजली (विद्युत) के लिए कर अवधारित कर सकेगी जो बिजली के उपभोग पर बीस पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक न होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 134 का प्रतिस्थापन।

11. मूल अधिनियम की धारा 134 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"134. मलवहन का निस्सारण.– जो कोई, नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना किसी कुण्ड, मल–प्रणाल या मल–कुण्ड के पदार्थों का अथवा किसी अन्य घृणोत्पादक पदार्थ का, किसी मार्ग (स्ट्रीट) पर या सार्वजनिक स्थान में या किसी सिंचाई चैनल में या किसी ऐसे मल–प्रणाल या नाली में, जो इस प्रयोजन के लिए अलग से नहीं बनाई गई है, निस्सारण, अपवहन या छोड़ा जाना कारित करता है या जानबूझ कर या उपेक्षावश ऐसा होने देता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो हजार पाँच सौ रूपए से कम नहीं होगा और दस हजार रूपए से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय उल्लंघन के लिए, उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त वह नगरपालिका के प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, विडियोग्राफी के अन्तर्गत, कम से कम एक सप्ताह की अवधि के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके प्रश्नगत परिसरों में या उसके आस–पास के सार्वजनिक क्षेत्र को साफ करने की सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उसी अपराध को तीसरी बार और तत्पश्चात् भी करता है, तो नगरपालिका, यथास्थिति, आवासीय के साथ–साथ वाणिज्यिक स्थापनों में नागरिक सुख–सुविधाओं, जैसे कि जल की आपूर्ति, विद्युत का प्रदाय आदि करने से इन्कार कर सकेगी या उन्हें बन्द कर सकेगी ।"।

2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

12. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन में होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

अध्यक्ष ।

अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला—171004.
दिनांक : 11/09/...., 2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूँ

राज्यपाल ।

राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

शिमला—171002.
दिनांक : २० - ९ -, 2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 27 OF 2013

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 10.
3. Amendment of section 11.
4. Amendment of section 13.
5. Amendment of section 17.
6. Amendment of section 18.
7. Substitution of section 22.
8. Amendment of section 23.
9. Insertion of section 25.
10. Amendment of section 69.
11. Substitution of section 134.
12. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2013 and savings.

Bill No. 27 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 27th day of July, 2013.

Amendment of section 10.

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),–

(a) in sub-section (1), the words and signs "President, Vice-President and" shall be omitted.;

(b) in sub-section (2), the words and sign "including the President and the Vice-President" shall be omitted.; and

(c) existing proviso to sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) shall be omitted.

Amendment of section 11.

3. In section 11 of the principal Act, in sub-section (1), the words and sign "excluding the seat for President and Vice-President" and existing first proviso shall be omitted.

Amendment of section 13.

4. In section 13 of the principal Act, the words and signs "President, Vice-President and" wherever they occur shall be omitted.

Amendment of section 17.

5. In section 17 of the principal Act, the words and sign "President or Vice-President or a" shall be omitted.

Amendment of section 18.

6. In section 18 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1), the words and sign "President or Vice-President or" shall be omitted.; and

(b) in proviso, the words and sign "President or Vice-President or" shall be omitted.

Substitution of section 22.

7. For section 22 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"22. Election of President and Vice-President.- Every Municipal Council or Nagar Panchayat shall elect one of its elected members to be the President and another to be the Vice-President, and the member so elected shall become President or the Vice-President, as the case may be, of the Municipal Council or Nagar Panchayat:

Provided that the office of the President in Municipal Councils and Nagar Panchayats shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women in accordance with the provisions of section 12:

Provided further that if the office of the President or the Vice-President is vacated during his tenure on account of death, resignation, removal or no confidence motion, a fresh election for the remainder of the period shall be held from the same category.".

Amendment of section 23.

8. In section 23 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "of his office", the words "as a member" shall be inserted.

Insertion of section 25.

9. After section 24 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:–

"25. Motion of no-confidence against President or Vice-President.– (1) A motion of no-confidence against the President or the Vice-President may be made in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) Where a notice of intention to move a resolution requiring the President or the Vice-President of the municipality to vacate his office, signed by not less than majority of its total elected members is given and if a motion of no-confidence is carried by a resolution passed by a majority of elected members present and voting at its general or special meeting, the quorum of which is not less than one-half of its total elected members, the President or the Vice-President against whom such resolution is passed shall cease to hold office forthwith.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, the President or the Vice-President of the municipality shall not preside over a meeting in which a motion of no-confidence is to be discussed against him. Such meeting shall be presided over by such person, and convened in such manner, as may be prescribed and the person against whom a motion of no-confidence is moved, shall have a right to vote and to take part in the proceedings of such meeting.

(4) Motion of no-confidence under this section shall not be maintainable within one year of the date of his election to such office and any subsequent motion of no-confidence shall not be maintainable within the interval of one year of the last motion of no-confidence.".

Amendment of section 69.

10. In section 69 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "The tax on consumption of electricity at the rate of one paise for every unit of electricity consumed by any person within the limits of the municipal area", the words and signs "The State Government may, by notification, determine a tax on consumption of electricity at the rate not exceeding twenty paise per unit, for electricity consumed by any person within the limits of the municipal area which" shall be substituted.

Substitution of section 134.

11. For section 134 of principal Act, the following section shall be substituted, namely:–

"134. Discharging sewerage.–Whoever, without the permission of the municipality, causes or knowingly or negligently allows the contents of any sink, sewer, or cesspool or any other offensive material to flow, drain or be put upon any street or public place, or into any irrigation channel or any sewer or drain not set apart for the purpose, shall be punishable with a fine which shall not be less than two thousand five hundred rupees and not more than ten thousand rupees for the first offence, and for second contravention, in addition to the penalty as specified above, he shall be liable to render community service by personally clearing the public area in and around his premises in question under the supervision of authorized officer of the municipality for not less than a period of one week under videography:

Provided that if such person commits the same offence third time and subsequently, the municipality may deny or stop the civic amenities like water, electricity etc. in residential as well as commercial establishments, as the case may be.".

Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2013 and savings.

12. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

मैं, "हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 27)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, (2013 का विधेयक संख्यांक 27)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।